


राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7(38) परि/नियम/मु./2011/17646 जयपुर, दिनांक : 14/09/2020

कार्यालय आदेश 22/2020

कार्यालय आदेश संख्या 15/2017, दिनांक 09.05.2017 को एतद् द्वारा प्रत्याहृत (withdraw) किया जाता है। उक्त आदेश प्रत्याहृत होने के फलस्वरूप जमवारामगढ थाना क्षेत्र स्वतः ही जिला परिवहन अधिकारी(गैर परिवहन), झालाना डूंगरी, जयपुर के क्षेत्राधिकार में आ जाता है।

अतः जमवारामगढ थाना क्षेत्र में व्यवसायरत गैर परिवहन मोटर वाहन डीलर्स को जिला परिवहन अधिकारी (गैर परिवहन), झालाना डूंगरी, जयपुर के अधीन किया जाता है। साथ ही भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अचरोल कस्बे में व्यवसायरत गैर परिवहन मोटर वाहन डीलर्स को भी जिला परिवहन अधिकारी (गैर परिवहन), झालाना डूंगरी, जयपुर के अधीन किया जाता है। उक्त दोनों क्षेत्रों के गैर परिवहन मोटर वाहन डीलर्स से संबंधित समस्त कार्य जिला परिवहन अधिकारी (गैर परिवहन), झालाना डूंगरी, जयपुर में सम्पादित किये जाएंगे।


(रवि जैन)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : प. 7(38) परि/नियम/मु./2011/17647-53 जयपुर, दिनांक : 14/09/2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को अपडेट करने हेतु।
4. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर।
5. जिला परिवहन अधिकारी (गैर परिवहन), झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा।
7. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)